पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

2019 की आपराधिक पुनरीक्षण सं.1080

थाना कांड सं.- वर्ष- थाना-जिला-गोपालगंज से उद्भूत

==========

1. सुमन देवी उर्फ सुमन गुप्ता, पति-छोटे लाल गुप्ता, निवासी, ग्राम-हटवा, पोस्ट-लछमीपुर बाबू, थाना-समौर बाज़ार, जिला-कुशी नगर(यू.पी.)। वर्तमान में निवासी, ग्राम-मोतीपुर, थाना-कटिया, जिला-गोपालगंज।

2. अंश कुमार पिता-छोटे लाल गुप्ता नाबालिग, माता अभिभावक के माध्यम से निवासी, ग्राम-हटवा, डाकघर-लछमीपुर बाबू, थाना-सामौर बाज़ार, जिला-कुशीनगर(उ.प्र.)। वर्तमान में निवासी, ग्राम-मोतीपुर, थाना-कटेया, जिला-गोपालगंज।

.....याचिकाकर्ता/ओं

बनाम

1. बिहार राज्य

2. छोटे लाल गुप्ता, पिता-फुलेना गुप्ता, निवासी, ग्राम-हटवा, पोस्ट-लछिमीपुर बाबू, थाना-समौर बाज़ार, जिला- कुशी नगर (उ. प्र.) के निवासी। वर्तमान में-न्यू नेवी नगर, आशा 2/4, कलाबा, मुंबई।

.....प्रतिवादी/गण

==========

उपस्थिति:

याचिकाकर्ता/ओं के लिए	:	श्री पंकज कुमार दुबे, अधिवक्ता।
राज्य के लिए	:	श्री चंद्र सेन प्रसाद सिंह, सहायक लोक अभियोजक
प्रतिपक्षी सं. 2 के लिए	:	श्री रंजीत कुमार पांडे, अधिवक्ता
न्यायमित्र	:	श्री अजय कुमार ठाकुर, अधिवक्ता

==========

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973—धारा 125—भरण-पोषण—याचिकाकर्ताओं द्वारा दाखिल भरण-पोषण याचिका को विद्वान न्यायालय ने खारिज कर दिया—विद्वान पारिवारिक न्यायालय ने पत्नी को इस आधार पर भरण-पोषण देने से इनकार कर दिया कि वह विवाह से पूर्व व्यभिचारी जीवन जी रही थी, और पुत्र को भी यह पाते हुए भरण-पोषण देने से इनकार कर दिया गया कि विपक्षी पक्षकार क्रमांक 2 उसका जैविक पिता नहीं है—पति ने यह साबित करने के लिए समय, स्थान और व्यभिचारी के संदर्भ में कोई विवरण नहीं दिया कि उसकी पत्नी व्यभिचार में रह रही है—विद्वान पारिवारिक न्यायालय का यह निष्कर्ष कि पत्नी व्यभिचार में रह रही थी, कानून की नजर में गलत है—दो दस्तावेजों (डीएनए रिपोर्ट और अस्पताल डिस्चार्ज स्लिप) के प्रदर्शन के समय, याचिकाकर्ताओं से आपत्ति नहीं मांगी गई—यह साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं है कि याचिकाकर्ता क्रमांक 2 का गर्भधारण विपक्षी पक्षकार क्रमांक 2 के साथ उसके विवाह से पहले याचिकाकर्ता क्रमांक 1 द्वारा हुआ था और इसे अनुमति दी गई, हालांकि अपील लंबित है - रिकॉर्ड पर कोई दस्तावेज नहीं है जो यह दर्शाता हो कि पक्षों के बीच विवाह रद्द कर दिया गया है - विवादित आदेश कानून की नजर में टिकने योग्य नहीं है - दोनों याचिकाकर्ता विपक्षी से भरण-पोषण पाने के हकदार हैं।

(पैरा 24, 29, 34, 40, 51, 54)

(2019) 11 एससीसी 491; (2002) 10 एससीसी 510 - ***भरोसा किया गया।***

(2014) 1 एस.सी.आर. 120 — ***विशिष्ट***

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973—पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार—उच्च न्यायालय के पास साक्ष्य का पुनर्मूल्यांकन करने तथा विवाह या बच्चे के पितृत्व की वैधता के संबंध में सकारात्मक निष्कर्ष के संबंध में अपने स्वयं के निष्कर्ष को प्रतिस्थापित करने का कोई अधिकार नहीं है, जब तक कि तथ्य के निष्कर्ष या क्षेत्राधिकार या कानून की त्रुटि में स्पष्ट रूप से विकृति न हो, लेकिन विवाह या बच्चे के पितृत्व की वैधता के संबंध में न्यायालय

के नकारात्मक निष्कर्ष के मामले में, उच्च न्यायालय को पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार में भी साक्ष्य का पुनर्मूल्यांकन करने तथा इस निष्कर्ष पर पहुंचने की आवश्यकता होती है कि पारिवारिक न्यायालय द्वारा प्राप्त निष्कर्ष या निष्कर्ष कानूनी रूप से संधारणीय हैं या नहीं, क्योंकि नकारात्मक निष्कर्ष के कारण, बच्चे को नाजायज माना जाता है तथा पत्नी को अपवित्र महिला करार दिया जाता है।

(पैरा 51)

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973—धारा 125—व्यभिचार में रहना और व्यभिचार करना—व्यभिचार में रहना आचरण के एक सतत क्रम को दर्शाता है न कि अनैतिकता के अलग-अलग कृत्यों को—सदाचार से एक या दो चूक व्यभिचार के कृत्य होंगे लेकिन यह दिखाने के लिए काफी अपर्याप्त होंगे कि महिला "व्यभिचार में रह रही थी"—एक चूक, चाहे वह एक हो या दो, और सामान्य जीवन में वापस लौटना व्यभिचार में रहना नहीं कहा जा सकता—यदि चूक जारी रहती है और उसके बाद एक और व्यभिचारी जीवन होता है, तो महिला को "व्यभिचार में रहना" कहा जा सकता है।

(पैरा 39)

2025 एससीसी ऑनलाइन गुवाहाटी 259; 2018 एससीसी ऑनलाइन मध्य प्रदेश 1687; 2011 एससीसी ऑनलाइन मध्य प्रदेश 2249; 1999 एससीसी ऑनलाइन केरल 64; 1997 एससीसी ऑनलाइन बॉम्बे 264—इस पर भरोसा किया गया।

निर्णय- आक्षेपित आदेश को अपास्त किया गया और प्रतिपक्षी को उसकी पत्नी और नाबालिग पुत्र को मासिक भरण-पोषण का भुगतान करने का निर्देश दिया गया।

==========

पटना उच्च न्यायालय का निर्णय आदेश

==========

गणपूर्ति: माननीय न्यायमूर्ति श्री जितेंद्र कुमार

सीएवी निर्णय

तिथि - 18-03-2025

वर्तमान पुनरीक्षण याचिका विद्वान प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, गोपालगंज द्वारा भरण-पोषण वाद संख्या 156/2013, सी.आई.एस. पंजी. संख्या 751/2013 में पारित दिनांक 22.06.2019 के आक्षेपित आदेश के विरुद्ध याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत की गई है, जिसके तहत विद्वान प्रधान न्यायाधीश ने धारा 125 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत भरण-पोषण के लिए याचिकाकर्ताओं के आवेदन को खारिज कर दिया है।

2. मामले की तथ्यात्मक पृष्ठभूमि यह है कि याचिकाकर्ताओं ने इसमें प्रतिपक्षी सं.2 के खिलाफ भरण-पोषण की मांग करते हुए 12.08.2013 को प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, गोपालगंज के न्यायालय में धारा 125 दं. प्र. सं. के तहत, विविध वाद सं.156/2013 के अंतर्गत एक आवेदन दायर किया था, जिसमें कहा गया है कि याचिकाकर्ता संख्या 1 का विवाह हिंदू संस्कारों और रीति-रिवाजों के अनुसार 6.3.2012 को प्रतिपक्षी संख्या 2 से हुआ है और याचिकाकर्ता संख्या 2 विवाह से पैदा हुआ पुत्र है।

3. आगे के बयान के अनुसार, याचिकाकर्ता संख्या 1 अपने पति/प्रतिपक्षी संख्या 2 के वैवाहिक गृह में 8.3.2012 को शामिल हुई।21.8.2012 को, उन्हें उनके पति/प्रतिपक्षी संख्या 2 द्वारा मुंबई ले जाया गया, जहाँ वे भारतीय नौसेना में कार्यरत थे, जिनका मासिक वेतन रु 35, 000/- था। बेटा/याचिकाकर्ता सं.2 के जन्म के बाद,

प्रतिपक्षी संख्या 2/पति ने उसे अलग-अलग तरीकों से प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। वह उसके साथ दुर्व्यवहार और मारपीट भी करता था। प्रतिपक्षी सं.2 ने एक महिला के साथ अवैध संबंध भी विकसित किए। उन्होंने याचिकाकर्ता सं.1/पत्नी को कई मौकों पर पीटा और अंततः 19.01.2013 को, उसे उसके पुत्र के साथ वैवाहिक घर से निकाल दिया गया था। इसके बाद,वह अपने *मायके* वापस चली गयी ।इसके बाद, प्रतिपक्षी संख्या 2 के घर पर एक *पंचायती* का आयोजन किया गया और दोनों पक्षों के बीच समझौता हुआ। समझौते के अनुसार, याचिकाकर्ता संख्या 1 ने अपने पुत्र के साथ फिर से अपने पति के साथ रहना शुरू कर दिया, लेकिन फिर से 18.04.2013 पर, उसे प्रतिपक्षी सं. 2/पति द्वारा वैवाहिक घर से बेदखल कर दिया गया और तब से वह अपने माता-पिता के घर में रह रही है।

4. यह भी कहा गया है कि याचिकाकर्ताओं के पास अपना भरण-पोषण करने का कोई साधन नहीं है, जबकि प्रतिपक्षी संख्या 2 एक सरकारी कर्मचारी है जो प्रति माह 35,000/- रुपये कमाता है और जिसकी दस *बीघा* कृषि योग्य भूमि है जिसकी वार्षिक आय रु 2,00,000-खेती से है।प्रतिपक्षी सं.2 का लखनऊ में भी बाजार है जहाँ उसे मासिक किराया या रु 25,000/-मिलता है। याचिकाकर्ताओं ने प्रतिपक्षी संख्या 2 से अपने भरण-पोषण के लिए 20,000/- प्रति माह का दावा किया है।

5. नोटिस पर, प्रतिपक्ष संख्या 2 उपस्थित हुआ और अपना लिखित कथन दायर किया जिसमें उसने आपत्ति जताई है कि याचिकाकर्ता किसी भी तरह का भरण-पोषण प्राप्त करने की हकदार नहीं हैं, यह दावा करते हुए कि याचिकाकर्ता संख्या 1/पत्नी किसी और के साथ विवाह से पहले से ही गर्भवती थी और उसने उससे अपने विवाह के समय उससे अपनी पिछली गर्भावस्था को छुपाया था। याचिकाकर्ता सं.2 उस गर्भावस्था से पैदा हुआ है और इसलिए, वह उसका वैध पुत्र नहीं है। याचिकाकर्ता सं.2

के जन्म के बाद, डीएनए परीक्षण किया गया जिसमें पुष्टि हुई कि वह उसका पुत्र नहीं है। यह भी दावा किया जाता है कि उसकी पत्नी/याचिकाकर्ता संख्या 1 अभी भी व्यभिचार में रह रही है।

6. उन्होंने स्वीकार किया है कि वह भारतीय नौसेना में 'डी' श्रेणी में सेवा कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने इस बात से इनकार किया है कि उनकी मासिक आय रु 35, 000/- है और दावा करते हैं कि सभी कटौतियों और बैंक ऋण की किस्तों के भुगतान के बाद उसका शुद्ध वेतन केवल रु.10,000/- है। उसने यह भी दावा किया है कि उसकी पत्नी एक प्रसाधिका है और एक प्रसाधनालय चलाती है जिसकी मासिक आय रु 25,000/- है।

7. उन्होंने यह भी कहा है कि उन्होंने विवाह को अमान्य घोषित करने के लिए हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 12 के तहत एक वैवाहिक याचिका दायर की है।

8. विचारण के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से निम्नलिखित गवाहों से पूछताछ की गई हैः

(i) अ. सा.--1-प्रदीप गुप्ता, जो याचिकाकर्ता सं.1 के भाई हैं।

(ii) अ. सा.--2-पवन कुमार गुप्ता, जो याचिकाकर्ता नंबर 1 के भाई भी हैं।

(iii) अ. सा.--3-सुमन देवी, याचिकाकर्ता संख्या 1 स्वयं।

(iv) अ. सा.--4-दिलीप कुमार गुप्ता भी याचिकाकर्ता संख्या 1 के भाई भी हैं।

9. प्रतिपक्षी संख्या **2** ने अपने बचाव में निम्नलिखित गवाहों का परीक्षण किया:

(i) वि. सा. सं.---1-राजेंद्र गुप्ता जो यहाँ प्रतिपक्षी संख्या 2 के भाई हैं।

(ii) वि. सा. सं.---2-छोटे लाल गुप्ता, प्रतिपक्षी सं. 2 स्वयं।

(iii) वि. सा. सं.---3-छोटे लाल गुप्ता, प्रतिपक्षी सं.2 स्वयं का फिर से परीक्षण किया गया है।

10. उन्होंने निम्नलिखित दो दस्तावेजों को भी प्रदर्शित किया हैः

(i) **प्रदर्श ए** -डीएनए परीक्षण प्रतिवेदन

(ii) **प्रदर्श ए/1**-अस्पताल छुट्टी पर्ची

कुटुंब न्यायालय का निष्कर्ष एवं आदेश

11. अभिलेख पर साक्ष्य और प्रासंगिक सामग्री के अनुसार, निम्न न्यायालय अर्थात कुटुंब न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि याचिकाकर्ता सं. 1 सुमन देवी उर्फ सुमन गुप्ता प्रतिपक्षी सं. 2/छोटे लाल गुप्ता की कानूनी रूप से विवाहिता पत्नी है। हालाँकि, वह विवाह से पहले से ही व्यभिचारी जीवन जी रही थी और प्रतिपक्षी सं.2 याचिकाकर्ता संख्या 2/अंश कुमार का जैविक पिता नहीं है और इसलिए, दोनों याचिकाकर्ताओं को प्रतिपक्षी सं. 2 से भरण-पोषण से इनकार कर दिया गया।

याचिकाकर्ताओं का साक्ष्य

12. इसमें दोनों याचिकाकर्ता प्रतिपक्षी सं.2/छोटे लाल गुप्ता से भरण-पोषण के लिए कुटुंब न्यायालय के समक्ष आवेदकगण थे।

13. याचिकाकर्ता संख्या 1/सुमन देवी @सुमन गुप्ता स्वयं का परीक्षण **अ. सा.--3** के रूप में की गई है। अपने **मुख्य परीक्षण** में, उन्होंने अपनी याचिका में दिए गए अपने बयानों को दोहराते हुए अपने मामले का समर्थन किया है। अपने **प्रति-परीक्षण** में, उन्होंने अभिसाक्ष्य दिए हैं कि उनके पति द्वारा तलाक की एक याचिका दायर की गई है, जो गोपालगंज के न्यायालय में लंबित है। उन्होंने आगे बयान दिया है कि उनका पुत्र अंश कुमार का जन्म नौसेना के अस्पताल में 16.11.2012 को हुआ था। उसे ज्ञात नहीं है कि उसके पुत्र का डीएनए परीक्षण किया गया था या नहीं और वह

अपने बच्चे के डीएनए परीक्षण के लिए तैयार है। उसने इस बात से इनकार किया है कि उसके किसी अन्य व्यक्ति के साथ अवैध संबंध हैं।

14. **अ. सा.--1, प्रदीप कुमार**, याचिकाकर्ता सं.1/सुमन देवी के भाई हैं। अपने **मुख्य परीक्षण** में, उन्होंने भी अपनी बहन/याचिकाकर्ता के मामले का समर्थन किया है। अपने **प्रति-परीक्षण** में, उन्होंने गवाही दी है कि याचिकाकर्ता के पुत्र के जन्म तक उनकी बहन/याचिकाकर्ता और उनके बहनोई/प्रतिपक्षी सं.2 के बीच कोई विवाद नहीं था। उन्हें यह भी ज्ञात नहीं है कि याचिकाकर्ता के पुत्र का कोई डीएनए परीक्षण किया गया है या नहीं। उसकी बहन-याचिकाकर्ता केवल दो महीने तक *ससुराल* में रही और उसके बाद, उसे वैवाहिक घर से निकाल दिया गया।

15. **पी.डब्ल्यू-2,** पवन कुमार गुप्ता भी सुमन देवी के भाई हैं। अपने **मुख्य परीक्षण** में, उन्होंने भी अपनी बहन-याचिकाकर्ता के मामले का समर्थन किया है। अपने **प्रति-परीक्षण** में, उसने गवाही दी है कि उसकी बहन सुमन गुप्ता एक गृहिणी है और वह प्रसाधिका नहीं है।

16. **पी.डब्ल्यू-4, दिलीप कुमार गुप्ता** भी सुमन देवी के भाई हैं। अपने **मुख्य परीक्षण** में, उन्होंने भी अपनी बहन के मामले का समर्थन किया है। अपने **प्रति-परीक्षण** में, उसने यह बयान दिया है कि उसकी बहन इंटर पास है और उसने सिलाई के संबंध में कोई प्रशिक्षण नहीं लिया है। उन्होंने आगे कहा कि बच्चे के जन्म तक उनकी बहन और बहनोई के बीच कोई विवाद नहीं था। उन्होंने आगे बयान दिया कि याचिकाकर्ता संख्या 2/अंश कुमार पर कोई डीएनए परीक्षण संचालित नहीं किया गया है।

17. हालाँकि, उसने कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है

<u>प्रतिपक्षी संख्या 2/छोटे लाल गुप्ता का साक्ष्य</u>

18. छोटे लाल गुप्ता कुटुंब न्यायालय में विरोधी पक्ष थे और उनकी पत्नी और पुत्र ने उनके खिलाफ भरण-पोषण याचिका दायर की थी। उन्होंने स्वयं का परीक्षण **ओ.पी.डब्ल्यू-2** के रूप में किया है। उन्होंने स्वीकार किया है कि वह याचिकाकर्ता सं.1/सुमन देवी से विवाहित हैं और विवाह के बाद, उनकी पत्नी/सुमन देवी उनके वैवाहिक घर में शामिल हो गई हैं। 16.11.2012 को, उनकी पत्नी से पुत्र/अंश कुमार का जन्म हुआ। उन्होंने बच्चे का डी. एन. ए. परीक्षण कराया और प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार, वह याचिकाकर्ता सं.2/अंश कुमार का जैविक पिता नहीं है। उसने अपनी पत्नी के भाई प्रदीप कुमार को फोन किया और प्रतिवेदन के बारे में बताया और उसके बाद, प्रदीप कुमार ने दावा किया कि प्रतिवेदन झूठा है और उसने इसे रिश्वत देकर प्राप्त किया है और अदालत के माध्यम से नया डीएनए परीक्षण किया जाएगा जिसे उसने स्वीकार किया। इसके बाद सुमन देवी उनके घर आई और वहां रहने लगी और वह अपने तैनाती वाले स्थान पर चले गए। उन्होंने अपनी पत्नी के खिलाफ बॉम्बे में तलाक की याचिका दायर की है और उसके बाद तलाक की याचिका को गोपालगंज की अदालत में स्थानांतरित कर दिया गया है। इसके बाद, 22.08.2013 को, सुमन देवी अपने वैवाहिक घर को छोड़कर अपने माईके वापस चली गईं। 09.11.2014 को सुमन देवी फिर से उसके घर आई और तब से वह अपने पुत्र के साथ उसके घर पर रह रही है। वह एक निजी विद्यालय में भी काम कर रही है और जहाँ उसे रू 2,000/- प्रति माह मिल रहे हैं। उसके भोजन आदि का खर्च उसकी माँ और भाई/प्रदीप कुमार द्वारा वहन किया जा रहा है अपने **प्रति-परीक्षण** में, उसने बयान दिया है कि उसे कुल रु 11,000/- वेतन मिल रहा है। फिर से, उन्होंने बयान दिया है कि उन्हें कुल रु 13,000 से रु 14,000/- प्रति माह वेतन मिलता है। उसने यह भी कहा है कि शादी के 250 दिनों के बाद उसकी पत्नी को एक बच्चे का जन्म होता है और वह उसके घर पर रह रही है और इसलिए, उसे कोई भरण-पोषण राशि देने का कोई प्रश्न ही नहीं उत्पन्न

होता है। उन्हें बैंक खाते के माध्यम से वेतन मिलता है। उनके पास 30 कट्ठा की भूमि है और पक्का घर है जहाँ उनकी पत्नी रहती है। उन्होंने इस बात से इनकार किया है कि उनके अपनी साली, अर्थात्, प्रमीला गुप्ता के साथ अवैध संबंध हैं और तब से वह अपनी पत्नी को पीटते रहते हैं और उसने अपनी पत्नी को अपने वैवाहिक घर से निकाल दिया गया है

19. वि. सा. सं.---1, राजेंद्र गुप्ता, प्रतिपक्षी सं.2 के भाई हैं। अपने **मुख्य परीक्षण** में, उन्होंने अपने भाई के मामले का समर्थन किया है। अपने **प्रति-परीक्षण** में, उसने बयान दिया है कि सुमन देवी विद्यालय में पढ़ा रही है, लेकिन उसने स्वीकार किया है कि उसने इस संदर्भ में कोई दस्तावेज नहीं देखा है। उन्होंने इस बात से इनकार किया है कि सुमन गुप्ता अपने *माईके* में रह रही हैं।

20. अवर न्यायालय द्वारा एक डी.एन.ए. परीक्षण प्रतिवेदन और अस्पताल से छुट्टी की पर्ची भी प्रदर्शित की गई है, जो विरोधी पक्ष के अनुरोध पर क्रमशः प्रदर्श -ए और प्रदर्श -ए/1 हैं। इन दस्तावेजों को याचिकाकर्ताओं द्वारा स्वीकार किए जाने के कारण प्रदर्शित नहीं किया गया है। याचिकाकर्ताओं से आपत्ति भी नहीं मांगी गई थी। इन दस्तावेजों को किसी गवाह के माध्यम से भी प्रस्तुत नहीं किया जाता है।

21. मैं आगे पाता हूँ कि कुटुंब न्यायालय द्वारा अंश कुमार के डी.एन.ए. परीक्षण के लिए प्रतिपक्ष के आवेदन को इस आधार पर खारिज कर दिया गया है कि प्रतिपक्ष ने न्यायालय के समक्ष विरोधाभासी बयान दिए थे और इस अस्वीकृति आदेश को प्रतिपक्षी संख्या 2 द्वारा चुनौती नहीं दी गई है। इस प्रकार, यह अंतिम रूप ले लिया।

22. मैंने याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता,राज्य के लिए ए पी पी, प्रतिपक्ष सं.2 कि ओर से विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान न्यायमित्र को सुना।

23. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि नीचे दिए गए विद्वान न्यायालय ने अभिलेख पर साक्ष्य का ठीक से मूल्यांकन नहीं किया है और याचिकाकर्ताओं जो प्रतिपक्षी संख्या 2 की पत्नी और वैध संतान हैं, द्वारा दायर भरण-पोषण याचिका को गलत तरीके से खारिज कर दिया है।

24. वह आगे प्रस्तुत करते हैं कि याचिकाकर्ता सं.1/पत्नी प्रतिपक्षी सं.2 के साथ अपने विवाह से पहले कोई गर्भधारण नहीं हुआ था, ना हीं वह व्यभिचार में रह रही है और इसलिए वह धारा 125 दं.प्र. सं. के तहत अपने पति से भरण-पोषण की हकदार है। विद्वान अवर न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित करके विधिक त्रुटियां की हैं कि वह व्यभिचार में रह रही है और वह भरण-पोषण प्राप्त करने की हकदार नहीं है।

25. वह आगे प्रस्तुत करते हैं कि याचिकाकर्ता संख्या 2/पुत्र भी विवाह के निर्वाह के दौरान याचिकाकर्ता-पत्नी और विरोधी पक्ष/पति के बीच विवाह से पैदा हुआ है और इसलिए, वह याचिकाकर्ता-पत्नी और विरोधी पक्ष/पति का वैध पुत्र है। यह साबित करने के लिए अभिलेख पर कोई साक्ष्य नहीं है कि याचिकाकर्ता सं.2 प्रतिपक्षी सं.2 का पुत्र नहीं है। डी.एन.ए. प्रतिवेदन और अस्पताल से छुट्टी की पर्ची विधिक साक्ष्य नहीं हैं।

26. वह आगे प्रस्तुत करते हैं कि याचिकाकर्ता संख्या 1/पत्नी का विवाह 06.03.2012 को प्रतिपक्षी संख्या 2 के साथ हुआ था और याचिकाकर्ता संख्या 2/बेटे का जन्म विवाह के निर्वाह के दौरान 16.11.2012 को हुआ था और विवाह अभी भी बनी हुई है। इसलिए, वह प्रतिपक्षी सं.2 का धर्मज पुत्र है और अपने पिता से धारा 125 दं.प्र. सं. के तहत भरण-पोषण प्राप्त करने का हकदार है।

27. *समानांतर स्तंभ में,* राज्य के लिए विद्वान सहायक लोक अभियोजक और प्रतिपक्षी सं.2/पति के लिए विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि आक्षेपित आदेश में

कोई अवैधता या दुर्बलता नहीं है, जिसके द्वारा दोनों याचिकाकर्ताओं को भरण-पोषण से इनकार कर दिया गया है।

28. अपने दावे को प्रमाणित करने के लिए,प्रतिपक्षी सं. 2 के पक्ष में विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता सं.1/पत्नी व्यभिचार में रहती है और याचिकाकर्ता सं.2 को डी.एन.ए. प्रतिवेदन के अनुसार प्रतिपक्षी सं.2 का पुत्र नहीं पाया गया है। वह आगे प्रस्तुत करते हैं कि याचिकाकर्ता संख्या 1/पत्नी के 08.03.2012 को अपने वैवाहिक घर में विरोधी पक्ष के साथ शामिल होने के बाद, जबकि उसने 16.11.2012 को याचिकाकर्ता संख्या 2 को जन्म दिया, यानी 252 दिनों के बाद, जबकि छुट्टी पर्ची के अनुसार पैदा हुए बच्चे की गर्भ अवधि 278 दिन थी, जो स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि विवाह से 26 दिन पहले बच्चे का गर्भाधान हुआ था। इसका तात्पर्य यह है कि याचिकाकर्ता सं.1/पत्नी विवाह से पहले किसी और के साथ गर्भवती थी और इस पिछली गर्भावस्था को उससे छुपाया गया है।

29. इसलिए, विरोधी पक्ष ने याचिकाकर्ता संख्या 1 के साथ अपने विवाह को अमान्य घोषित करने के लिए एक वैवाहिक वाद भी दायर किया है और इसे भी अनुमति दी गई है, हालांकि विवाह को अमान्य घोषित करने के खिलाफ अपील इस न्यायलय में विचाराधीन है।

30. वह **नंदलाल वासुदेव बदविक बनाम लता नंदलाल बदवैक और अन्य** जैसा कि **(2014) 1 एस.सी.आर. 120** में प्रतिवेदित मामले का भी उल्लेख करते हैं और उन पर भरोसा करते हैं।

31. विद्वान न्यायमित्र प्रस्तुत करते हैं कि एक कानूनी रूप से विवाहित पत्नी जो उचित कारण के साथ अपने पति से अलग रह रही है, लेकिन व्यभिचार में नहीं रह रही है, अपने पति से भरण-पोषण प्राप्त करने की हकदार है, यदि उसके पास खुद को

बनाए रखने का कोई साधन नहीं है। वह यह भी प्रस्तुत करते हैं कि पत्नी से पैदा हुआ बच्चा उसके पति का वैध पुत्र है और वह अपनी माँ के पति से भरण-पोषण प्राप्त करने का भी हकदार है, जबतक कि उसके नाबालिग होने के दौरान आय का कोई साधन नहीं है। वह यह भी प्रस्तुत करते हैं कि विवाह की वैधता या बच्चे के पितृत्व के संबंध में नकारात्मक निष्कर्ष के मामले में, पुनरीक्षण न्यायालय को साक्ष्य का पुनः मूल्यांकन करने और अपने स्वयं के निष्कर्ष को प्रतिस्थापित करने का अधिकार है।

32. मैंने पक्षों द्वारा प्रस्तुत प्रस्तुतियों पर विचार किया और अभिलेख पर तथ्यों का अवलोकन किया।

33. मुझे लगता है कि निर्विवाद रूप से याचिकाकर्ता संख्या1/सुमन देवी उर्फ सुमन गुप्ता का विवाह प्रतिपक्षी सं.2/छोटे लाल गुप्ता के साथ 06-03-2012 को हुआ था और वह 06-11-2012 को अपने पति के वैवाहिक घर में शामिल हुई और उसने याचिकाकर्ता सं.1 और प्रतिपक्षी सं.2 के मध्य विवाह के दौरान नेवी अस्पताल में याचिकाकर्ता सं.2/पुत्र को जन्म दिया। यह पति/प्रतिपक्षी सं. 2 का भी मामला नहीं है कि उनके विवाह के बाद उनकी पत्नी/याचिकाकर्ता सं.1 तक उनकी "कोई पहुंच" नहीं थी।

34. मैं आगे यह भी पाता हूँ कि विद्वान कुटुंब न्यायालय ने याचिकाकर्ता-पत्नी को इस आधार पर भरण-पोषण से इनकार कर दिया है कि वह विवाह से पहले से हीं व्यभिचारी जीवन जी रही थी। याचिकाकर्ता सं.2 के भरण-पोषण को भी विद्वान कुटुंब न्यायालय ने यह निष्कर्ष निकालकर अस्वीकार कर दिया कि प्रतिपक्षी सं. 2 उसका जैविक पिता नहीं है।

35. हालाँकि, पक्षों की प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों को देखते हुए, धारा 125 दं.प्र. सं. को संदर्भित करना उचित होगा, जो पत्नी, बच्चों और माता-पिता के भरण-पोषण के आदेश से संबंधित है। यह इस प्रकार हैः

"125. **पत्नियों, बच्चों और माता-पिता के भरण-पोषण के लिए आदेश-** (1) यदि कोई व्यक्ति जिसके पास पर्याप्त साधन हैं,भरण-पोषण करने में उपेक्षा करता है या रखने से इनकार करता है -

(क) उसकी पत्नी, जो अपना भरण-पोषण करने में असमर्थ है, या

(ख) उसका वैध या अवैध नाबालिग संतान, चाहे वह विवाहित हो या नहीं, अपना भरण-पोषण करने में असमर्थ हो, या

(ग) उसका वैध या अवैध संतान (जो विवाहित बेटी नहीं है) जो वयस्क हो गया है, जहां ऐसा बच्चा किसी शारीरिक या मानसिक असामान्यता या चोट के कारण खुद को बनाए रखने में असमर्थ है, या

(घ) उसके पिता या माता, जो अपना भरण-पोषण करने में स्वयं असमर्थ हैं तो,

प्रथम श्रेणी दंडाधिकारी, ऐसी उपेक्षा या अस्वीकृति के प्रमाणित होने पर, ऐसे व्यक्ति को अपनी पत्नी या ऐसे बच्चे, पिता या माँ के भरण-पोषण के लिए मासिक भत्ता देने का आदेश दे सकता है, ऐसी मासिक दर पर, जो ऐसा दंडाधिकारी उचित समझे, और उसी का भुगतान ऐसे व्यक्ति को करने का आदेश दे सकता है जिसे दंडाधिकारी समय-समय पर निर्देश देः

बशर्ते कि दंडाधिकारी खंड (बी) में निर्दिष्ट नाबालिग लड़की के पिता को ऐसा भत्ता देने का आदेश दे सकता है, जब तक कि वह अपना वयस्कता प्राप्त नहीं कर लेती है, यदि दंडाधिकारी संतुष्ट हो जाता है कि ऐसी नाबालिग लड़की के पति, यदि विवाहित है, के पास पर्याप्त साधन नहीं हैं।

बशर्ते कि दंडाधिकारी, इस उप-धारा के तहत भरण-पोषण के लिए मासिक भत्ते के संबंध में कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान, ऐसे व्यक्ति को अपनी पत्नी या ऐसे बच्चे, पिता या मां के अंतरिम भरण-पोषण के लिए मासिक भत्ता देने का आदेश दे सकता है, और ऐसी कार्यवाही के खर्च जो दंडाधिकारी उचित समझता है, और उसी का भुगतान ऐसे व्यक्ति को करने का आदेश दे सकता है जिसे दंडाधिकारी समय-समय पर निर्देश देः

बशर्ते कि दूसरे परंतुक के तहत अंतरिम भरण-पोषण और कार्यवाही के खर्च के लिए मासिक भत्ते के लिए आवेदन, जहां तक संभव हो, ऐसे व्यक्ति को आवेदन की सूचना की सेवा की तारीख से साठ दिनों के भीतर निपटाया जाएगा।]

स्पष्टीकरण-- इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए,-

(क) "नाबालिग" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसने भारतीय वयस्कता अधिनियम, 1875 (1875 का 9) के प्रावधानों के तहत अपनी वयस्कता प्राप्त नहीं किया है,

(ख) "पत्नी" में एक ऐसी महिला शामिल है जिसका अपने पति से तलाक हो गया है या जिसने तलाक ले लिया है और जिसने पुनः विवाह नहीं किया है।

(2) भरण-पोषण या अंतरिम भारतं-पोषण और कार्यवाही के लिए खर्च के लिए ऐसा कोई भी भत्ता आदेश की तारीख से, या यदि ऐसा आदेश दिया जाता है, तो भरण-पोषण या अंतरिम भरण-पोषण और कार्यवाही के खर्च के लिए आवेदन की तारीख से देय होगा, जैसा भी मामला हो।

(3) यदि इस प्रकार आदेश दिया गया कोई व्यक्ति आदेश का पालन करने में पर्याप्त कारण के बिना विफल रहता है, तो ऐसा कोई दण्डाधिकारी, आदेश के प्रत्येक उल्लंघन के लिए, जुर्माना लगाने के लिए प्रदान किए गए तरीके से देय राशि वसूल करने के लिए अधिपत्र निर्गत कर सकता है, और ऐसे व्यक्ति को, भरण-पोषण या अंतरिम भरण-पोषण और कार्यवाही के खर्चों के लिए प्रत्येक महीने के भत्ते के पूरे या किसी भी हिस्से के लिए, जैसा भी मामला हो, अधिपत्र के निष्पादन के बाद अवैतनिक रहने के लिए, एक अवधि के लिए कारावास की सजा दे सकता है जो एक महीने तक बढ़ सकती है या भुगतान किए जाने तक हो सकती है।

बशर्ते कि इस धारा के तहत देय किसी भी राशि के प्रत्युद्धरण के लिए कोई अधिपत्र तब तक निर्गत नहीं किया जाएगा जब तक कि न्यायलय को उस तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी राशि वसूल करने के लिए आवेदन नहीं किया जाता है जिस दिन वह देय हुई थीः

बशर्ते कि यदि ऐसा व्यक्ति अपनी पत्नी को उसके साथ रहने की शर्त पर रखने की पेशकश करता है, और वह उसके साथ रहने से इनकार करती है, तो ऐसा दण्डाधिकारी उसके द्वारा कथित अस्वीकृति के किसी भी आधार पर विचार कर सकता है, और इस तरह के प्रस्थापना के बावजूद इस धारा के तहत आदेश दे सकता है, यदि वह संतुष्ट है कि ऐसा करने के लिए उचित आधार है।

स्पष्टीकरण-- यदि किसी पति ने किसी अन्य महिला के साथ विवाह किया है या किसी श्रीमती को रखा है, तो यह उसकी पत्नी द्वारा उसके साथ रहने से इनकार करने के लिए उचित आधार माना जाएगा।

(4) कोई भी पत्नी इस धारा के तहत अपने पति से भरण-पोषण या अंतरिम भरण-पोषण और कार्यवाही के खर्च के लिए भत्ता प्राप्त करने की हकदार नहीं होगी, यदि वह व्यभिचार में रह रही है, या यदि, बिना किसी पर्याप्त कारण के, वह अपने पति के साथ रहने से इनकार करती है, या यदि वे आपसी सहमति से अलग रह रहे हैं।

(5) इस बात के प्रमाण पर कि कोई भी पत्नी जिसके पक्ष में इस धारा के तहत आदेश दिया गया है, व्यभिचार में रह रही है, या कि पर्याप्त कारण के बिना वह अपने पति के साथ रहने से इनकार करती है, या कि वे आपसी सहमति से अलग रह रहे हैं, दण्डाधिकारी आदेश को निरस्त कर देगा"।.

(जोर दिया गया)

36. इस प्रकार, एक कानूनी रूप से विवाहित पत्नी अपने पति से भरण-पोषण प्राप्त करने की हकदार है, यदि वह पर्याप्त कारण के साथ अपने पति से अलग रह रही है, लेकिन व्यभिचार में नहीं रह रही है, और उसके पास अपना पर्याप्त भरण-पोषण करने का साधन नहीं है और पति पर्याप्त साधन होने के बावजूद, उपेक्षा करता है या उसे भरण-पोषण से इनकार करता है।

37. हस्तगत मामले में, मैं पाता हूँ कि पति/प्रतिपक्षी सं.2 के दावे के अनुसार, उसके याचिकाकर्ता/पत्नी के विवाह से पहले किसी और के साथ अवैध संबंध थे और इस तरह के अवैध संबंध के कारण वह गर्भवती थी, और पिछली गर्भावस्था के कारण, उसने विवाह के निर्वाह के दौरान याचिकाकर्ता सं.2 को जन्म दिया। यह भी अभिकथन किया जाता है कि विवाह के बाद भी याचिकाकर्ता/पत्नी व्यभिचार में रह रही है। इस तरह की दलीलों और अभिलेख पर साक्ष्य के आधार पर विद्वान कुटुंब न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि पत्नी/याचिकाकर्ता विवाह से पहले किसी और के साथ व्यभिचार में लिप्त थी। अवर न्यायलय ने यह नहीं पाया है कि याचिकाकर्ता/पत्नी विवाह के बाद व्यभिचार में रह रही थी।

38. यहाँ, यह उल्लेख करना उचित होगा कि व्यभिचार किसी के जीवनसाथी के खिलाफ अपराध है। यदि कोई विवाहित व्यक्ति अपने जीवनसाथी के अलावा किसी और के साथ यौन संबंध स्थापित करता है, तो वह व्यभिचार करता है। धारा 125 दं.प्र. सं. के तहत पत्नी/याचिकाकर्ता को अपने पति से भरण-पोषण प्राप्त करने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाता है यदि वह व्यभिचार में रह रही है। यहाँ, "व्यभिचार में रहने" के लिए पहली और सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता यह है कि महिला का विवाह उसके साथ होना चाहिए। इसलिए, किसी भी अविवाहित महिला का शादी से पहले किसी और के साथ शारीरिक संबंध अयोग्यता की सीमा से बाहर है जैसा कि "व्यभिचार में रहने" के आधार पर धारा 125 दं.प्र. सं. के तहत प्रदान किया गया है।

39. इसके अलावा, "व्यभिचार में रहना" "व्यभिचार करने" से अलग है। "व्यभिचार में रहना " आचरण के निरंतर क्रम में रहना दर्शाता है और ना कि अनैतिकता के अलग-अलग कृत्यों को। सद्गुणों से एक या दो चूक व्यभिचार के कार्य होंगे लेकिन यह दिखाने के लिए काफी अपर्याप्त होगा कि महिला "व्यभिचार में रह रही थी"। केवल एक चूक, चाहे वह एक हो या दो, और सामान्य जीवन में वापस लौटना व्यभिचार में रहना नहीं कहा जा सकता है। यदि चूक जारी रहती है और उसके बाद एक और व्यभिचारी जीवन होता है, तो महिला को "व्यभिचार में रहने वाली" कहा जा सकता है। इस संबंध में, कोई निम्नलिखित न्यायिक मिसालों का उल्लेख कर सकता हैः

(i) **हितेश डेका बनाम जिनू डेका**

2025 एस. सी. सी. ऑनलाइन गौ 259

(ii) **सुखदेव पखरवाल बनाम रेखा ओखला**

2018 एस. सी. सी. ऑनलाइन एम. पी. 1687

(iii) **अशोक बनाम अनीता**

2011 एस. सी. सी. ऑनलाइन एम. पी. 2249

(iv) **संधा बनाम नारायणन**

1999 एस. सी. सी. ऑनलाइन केर 64

(v) **पांडुरंग बार्कु नाथे बनाम लीला**

पांडुरंग नाथे और अन्य।

1997 एस. सी. सी. ऑनलाइन बोम 264

40. किन्तु हस्तगत मामले में, मैंने पाया कि पति ने केवल एक बेबुनियाद आरोप लगाया है कि विवाह के बाद भी उसकी पत्नी व्यभिचार में रह रही है। लेकिन समय, स्थान और व्यभिचारी के संदर्भ में उसका कोई विवरण उसकी दलीलों में नहीं दिया गया है। यहां तक कि प्रतिपक्षी सं.2 द्वारा यह सिद्ध करने के लिए साक्ष्य भी नहीं दिए गए हैं कि उसकी पत्नी/याचिकाकर्ता सं.1 व्यभिचार में रह रही है।इसलिए, मुझे लगता है की विद्वान कुटुंब न्यायालय का निष्कर्ष कि वह व्यभिचार में रह रही थी विधि की नज़र में गलत है।

41. मैं आगे पाता हूँ कि विद्वान कुटुंब न्यायालय एक्स्ट ए. (डीएनए रिपोर्ट) और प्रदर्श ए/1 (अस्पताल छुट्टी पर्ची) के आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुँचा था कि प्रतिपक्षी सं.2 याचिकाकर्ता सं.2 /अंश कुमार का पिता नहीं है और इसलिए, याचिकाकर्ता सं.2 प्रतिपक्षी सं.2 का वैध पुत्र नहीं है और इसलिए, वह उससे भरण-पोषण प्राप्त करने का हकदार नहीं है।

42. निचली अदालत के अभिलेख के अवलोकन से, मैं पाता हूँ कि प्रदर्श ए (डीएनए रिपोर्ट) और प्रदर्श ए/1 (अस्पताल छुट्टी पर्ची) को विद्वान कुटुंब न्यायालय द्वारा केवल विरोधी पक्ष के विद्वान अधिवक्ता के अनुरोध पर प्रदर्शित किया गया है। इन

दोनों दस्तावेजों की प्रदर्शनी के समय याचिकाकर्ताओं से आपत्ति भी नहीं मांगी गई थी। मुझे आगे पता चलता है कि प्रतिपक्षी सं.2 सहित प्रतिपक्षी सं.2 के किसी भी गवाह ने इन दस्तावेजों को सिद्ध नहीं किया है। उन्होंने यह भी बयान नहीं दिया है कि वे इन दस्तावेजों की पहचान करते हैं जो अमुक-अमुक अधिकारियों द्वारा जारी किए गए थे, दस्तावेज़ कब और कैसे बनाए गए थे और इन दस्तावेजों के लेखक कौन थे, इस बारे में बयान देना तो दूर की बात है। इन दस्तावेजों के किसी भी लेखक या इन दस्तावेजों के लेखकों और सामग्री से परिचित किसी भी व्यक्ति की इन दस्तावेजों को साबित करने के लिए प्रतिपक्षी सं. 2 द्वारा परीक्षण नहीं किया गया था। यहां यह उल्लेख करना उचित होगा कि किसी भी दस्तावेज को विचरण के दौरान या तो प्रवेश के माध्यम से दूसरे पक्ष या किसी गवाह के द्वारा अभिलेख पर लाया जा सकता है। लेकिन इन दस्तावेजों को प्रदर्शन के माध्यम से अभिलेख पर लाने के लिए प्रतिपक्षी सं.2 द्वारा किसी भी तरीके को नहीं अपनाया गया है। परिणामस्वरूप, याचिकाकर्ताओं को अभिलेख पर दस्तावेजों के प्रदर्शन पर आपत्ति करने या दस्तावेजों की सत्यता और सामग्री के बारे में प्रति-परीक्षण करने का कोई अवसर नहीं मिला।

43. मुझे सबूतों के अनुसार यह भी पता चलता है कि याचिकाकर्ता-पत्नी और उसके गवाहों को किसी भी डीएनए रिपोर्ट या अस्पताल से छुट्टी की पर्ची के बारे में पता नहीं है।

44. इसलिए, मुझे लगता है कि डीएनए रिपोर्ट (एक्स. ए) और अस्पताल छुट्टी पर्ची (एक्स्ट। ए/1) को कानूनी साक्ष्य के रूप में नहीं माना जा सकता है। पक्षकारों के बीच विवाद पर निर्णय लेते समय उन्हें इस न्यायालय के विचार से बाहर रखा जाना चाहिए।

45. एक्सट.ए और एक्स्ट ए/1, के अपवर्जन के बाद अर्थात क्रमशः डी. एन. ए. रिपोर्ट और अस्पताल से छुट्टी पर्ची, यह साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं है कि याचिकाकर्ता संख्या 2 का गर्भधारण याचिकाकर्ता संख्या 1 द्वारा प्रतिपक्षी सं.2 के साथ किसी और के साथ उसके विवाह से पहले की गई थी। निर्विवाद रूप से, याचिकाकर्ता संख्या 1 का विवाह प्रतिपक्षी संख्या 2 के साथ 06.03.2012 को हुई थी और वह 08.03.2012 को अपने पति के वैवाहिक घर में शामिल हुई और जब विवाह कायम था तो उसने 16.11.2012 को याचिकाकर्ता संख्या 2 को जन्म दिया। यह प्रतिपक्षी सं.2 का मामला नहीं है कि उसका विवाह के बाद अपनी पत्नी तक "कोई पहुंच" नहीं थी। साक्ष्य अधिनियम की धारा 112 के अनुसार, यह तथ्य कि कोई व्यक्ति अपनी माँ और किसी भी पुरुष के बीच वैध विवाह के दौरान पैदा हुआ है, यह निर्णायक प्रमाण होगा कि वह उस व्यक्ति का वैध पुत्र है।

46. इसके अलावा, 255 दिनों (6.3.2012 से 16.11.2012) के भीतर बच्चे का जन्म अप्राकृतिक या असंभव नहीं है। बच्चे का पूर्व-परिपक्व जन्म एक सामान्य घटना है।

47. इसलिए, मुझे लगता है कि याचिकाकर्ता संख्या 2 प्रतिपक्षी संख्या 2 का वैध पुत्र है और वह अपने पिता/प्रतिपक्षी संख्या 2 से भरण-पोषण का हकदार है।

48. यह इंगित करना भी प्रासंगिक है कि याचिकाकर्ता संख्या 2/अंश कुमार का डी.एन.ए. परीक्षण करने के निर्देश के लिए प्रतिपक्षी संख्या 2 के आवेदन को प्रतिपक्षी संख्या 2 के विरोधाभासी बयानों के आधार पर विद्वान कुटुंब न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया था और उस आदेश को चुनौती नहीं दी गई है और इसलिए यह अंतिमता प्राप्त करता है। इस प्रकार, **नंदलाल वासुदेव बदवैक**(ऊपर) पर प्रतिपक्षी सं.2 की निर्भरता भी उनके लिए कोई मदद नहीं करता है।

49. यह दिखाने के लिए अभिलेख पर कुछ भी नहीं है कि याचिकाकर्ता संख्या 1 और प्रतिपक्षी संख्या 2 के बीच विवाह अमान्य घोषित कर दिया गया है, सिवाय इस सबूत के कि प्रतिपक्षी संख्या 2/पति ने याचिकाकर्ता संख्या 1 के साथ अपने विवाह को अमान्य घोषित करने के लिए हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 12 के तहत एक वैवाहिक वाद दायर किया है, जो कुटुंब न्यायालय,गोपालगंज के विचाराधीन है।

50. यह भी कानून का स्थापित सिद्धांत है कि धारा 125 दं.प्र. सं. के तहत कार्यवाही प्रकृति में संक्षिप्त है और इसका उद्देश्य पत्नी और बच्चों की स्वेच्छाचारिता और अभाव को रोकना और उन्हें भोजन, वस्त्र और आश्रय की आपूर्ति में त्वरित उपचार प्रदान करना है। इसलिए, वैवाहिक कार्यवाही के विपरीत धारा 125 दं.प्र. सं. के तहत कार्यवाही में प्रमाण के सख्त मानक की आवश्यकता नहीं है, जहाँ विवाह या पितृत्व का सख्त साक्ष्य आवश्यक है। यहाँ, **कमला बनाम एम. आर. मोहन कुमार, (2019) 11 एस. सी. सी. 491** की न्यायिक मिसाल का उल्लेख किया जा सकता है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का प्रासंगिक पैरा इस प्रकार हैः

"15. <u>वैवाहिक कार्यवाही के विपरीत जहां विवाह का सख्त प्रमाण आवश्यक है, धारा 125 दं.प्र. सं. के तहत कार्यवाही में, प्रमाण के इस तरह के सख्त मानक की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह प्रकृति में संक्षिप्त है जो स्वेच्छाचारिता को रोकने के लिए है।</u> इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि जब पक्षकार पति और पत्नी के रूप में एक साथ रहते हैं, तो यह धारणा है कि वे दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत पत्नी के भरण-पोषण के दावे के लिए कानूनी रूप से विवाहित जोड़े हैं। सुलझे हुए सिद्धांतों को लागू करते हुए, हस्तगत मामले में, अपीलार्थी 1 और प्रतिवादी पति और पत्नी के रूप में एक साथ रह रहे थे और उनके दो बच्चे भी हुए थे। अपीलार्थी 1 प्रत्यर्थी की पत्नी होने के नाते, वह और बच्चे, अपीलार्थी 2 और 3 दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत भरण-पोषण के हकदार होंगे।

<u>(जोर दिया गया)</u>

51. यह भी कानून का स्थापित सिद्धांत है कि पुनरीक्षण अधिकार क्षेत्र में, उच्च न्यायालय के पास साक्ष्य का पुनर्मूल्यांकन करने और विवाह या बच्चे की पितृत्व की वैधता के संबंध में सकारात्मक निष्कर्ष के संबंध में अपने स्वयं के निष्कर्ष को प्रतिस्थापित करने की कोई शक्ति नहीं है, जब तक कि अधिकार क्षेत्र या कानून के तथ्य या त्रुटियों का पता लगाने में स्पष्ट रूप से विकृति न हो। लेकिन विवाह या बच्चे के पितृत्व की वैधता के संबंध में न्यायालय के नकारात्मक निष्कर्ष के मामले में, उच्च न्यायालय से साक्ष्य का पुनर्मूल्यांकन करने और इस निष्कर्ष पर पहुंचने की आवश्यकता है कि क्या कुटुंब न्यायालय द्वारा प्राप्त निष्कर्ष या निर्णय कानूनी रूप से संधारण योग्य हैं या नहीं, क्योंकि नकारात्मक निष्कर्ष के कारण, बच्चे को नाजायज माना जाता है और पत्नी को बदचलन महिला के रूप में चिन्हित किया जाता है।

52. यहाँ, **प्रवती रानी साहू बनाम बिष्णुपद साहू, (2002) 10 एस. सी. सी. 510** की न्यायिक मिसाल का उल्लेख किया जा सकता है और निर्णय का प्रासंगिक पैरा इस प्रकार हैः

"5. ..... <u>धारा 125 दं.प्र. सं. का उद्देश्य अभाव को कम करना और अनाथ अवस्था को भी सुधारना है। उच्च न्यायालयों को विवाह और बच्चे के पितृत्व के पक्ष में सकारात्मक निष्कर्ष में हस्तक्षेप करने में धीमा होना चाहिए। अतः ऐसे मामलों में इस न्यायालय ने इंगित किया है कि उच्च न्यायालय ऐसे तथ्य निष्कर्षों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। लेकिन उस सिद्धांत को वर्तमान मामले में आयातित नहीं किया जा सकता है जहाँ दण्डाधिकारी द्वारा पारित आदेश के परिणामस्वरूप एक बच्चे को अपमानित किया गया था और दावेदार को वास्तव में अनैतिक नैतिकता वाली महिला पाया गया था। ऐसी स्थिति में उच्च न्यायालय को पुनरीक्षण करना चाहिए था और साक्ष्य का पुनर्मूल्यांकन करना चाहिए था और इस निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए था कि दण्डाधिकारी द्वारा प्राप्त निष्कर्ष या निर्णय कानूनी रूप से संधारण योग्य हैं या नहीं।</u> अपील और पुनरीक्षण के बीच समग्र दृष्टिकोण में अंतर बनाए रखते हुए, उच्च न्यायालय द्वारा पुनरीक्षण में न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का प्रयोग किया जाना चाहिए।

6. पुनरीक्षण के लिए आवेदन को संक्षिप्त रूप से खारिज करने वाले आक्षेपित आदेश से पता चलता है कि उच्च न्यायालय द्वारा अधिकार क्षेत्र का उपयोग भी नहीं किया गया है। इसलिए आक्षेपित आदेश को कायम नहीं रखा जा सकता है। परिणामस्वरूप, हम आदेश को अपास्त करते हैं और पुनरीक्षण को उच्च न्यायालय को विधि के अनुसार नए सिरे से निपटाने के लिए वापस भेजते हैं"।

(जोर दिया गया)

53. कानून का यह भी स्थापित सिद्धांत है कि धारा 125 दं.प्र. सं. के तहत किसी कार्यवाही में किसी बच्चे के विवाह या पितृत्व की वैधता अस्थायी है ना कि अंतिम है, और यह हमेशा किसी भी दीवानी न्यायालय या कुटुंब न्यायालय के आदेश के अधीन है, जो किसी पक्ष की किसी भी वैवाहिक स्थिति या बच्चे की वैधता या अवैधता को निर्णायक रूप से तय करने के लिए सक्षम न्यायालय हैं, जैसा कि कुटुंब न्यायालय अधिनियम, 1984 की धारा 7,8 और 20 से सामने आता है। दूसरे शब्दों में, यदि दीवानी न्यायालय या कुटुंब न्यायालय धारा 125 दं.प्र. सं. के तहत इस कार्यवाही में इस न्यायालय के निष्कर्ष के अनुरूप बच्चे के विवाह या पितृत्व की वैधता के संबंध में कोई आज्ञप्ति पारित करता है, तो दीवानी न्यायालय/कुटुंब न्यायालय की आज्ञप्ति प्रबल होगी और संबंधित पक्ष धारा 127 दं.प्र. सं. के तहत आवेदन दायर करके धारा 125 दं.प्र. सं. के तहत पारित आदेश को संशोधित करने के लिए स्वतंत्र होगा, जो बदली हुई परिस्थितियों में आदेश में परिवर्तन या संशोधन का प्रावधान करता है यहाँ, कोई निम्नलिखित न्यायिक मिसालों का उल्लेख कर सकता हैः .

(i) **इवान रथिनम बनाम मिलन जोसेफ**

एयर ऑनलाइन 2025 एससी 57

(ii) **बलराम यादव बनाम फुलमनिया यादव**

(2016) 13 एस. सी. सी. 308

(iii) **द्वारिका पी. सत्पथी बनाम विद्युत प्रवा दीक्षित**

(1999) 7 एस. सी. सी. 675

(iv) **संतोष बनाम नरेश पाल,**

(1998) 8 एस. सी. सी. 447

54. इसलिए, मै पाता हूँ कि 2013 के भरण-पोषण मामला संख्या 156 में गोपालगंज के कुटुंब न्यायालय के विद्वान प्रधान न्यायाधीश द्वारा पारित दिनांक 26.09.2019 का आक्षेपित आदेश विधि की नजर में बरकरार रखने योग्य नहीं है। दोनों याचिकाकर्ता प्रतिपक्षी सं.2 से भरण-पोषण प्राप्त करने के हकदार हैं।

55. मैं आगे पाता हूँ कि याचिकाकर्ता-पत्नी अपने नाबालिग पुत्र जो याचिकाकर्ता संख्या 2 है के साथ अपने माता-पिता के घर पर रह रही है, क्योंकि उन्हें प्रतिपक्षी सं.2 द्वारा उनके वैवाहिक घर से बेदखल कर दिया गया है। धारा 498ए के तहत दंडनीय अपराध के लिए एक आपराधिक परिवाद भी याचिकाकर्ता-पत्नी द्वारा प्रतिपक्षी सं.2 के खिलाफ दर्ज की गई है जो न्यायालय में विचाराधीन है।

56. मुझे आगे यह भी पाता हूँ कि याचिकाकर्ताओं के पास आय का कोई स्रोत नहीं है, जबकि प्रतिपक्षी सं.2 भारतीय नौसेना में एक सरकारी कर्मचारी है और याचिकाकर्ताओं के दावे के अनुसार, उनका मासिक वेतन रु 35, 000/-, जबकि प्रतिपक्षी सं.2 का कहना है कि उनका मासिक वेतन केवल रु 13, 000/- से रु 14, 000/- कटौती के बाद है। लेकिन उन्होंने अपने दावे के समर्थन में अभिलेख पर अपनी वेतन पर्ची दाखिल नहीं की है।

57. ऐसे तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, प्रतिपक्षी संख्या 2 अपनी पत्नी/याचिकाकर्ता संख्या 1 को 3000 रुपये प्रति माह और अपने नाबालिग बेटे/याचिकाकर्ता संख्या 2 को रु 3, 000/- प्रति माह उनके भरण-पोषण याचिका दायर करने की तिथि अर्थात 12.08.2013 से देने के लिए उत्तरदायी है।

58. इस प्रकार, आक्षेपित आदेश को अपास्त किया जाता है और प्रतिपक्षी सं.2 को उसकी पत्नी और नाबालिग पुत्र को मासिक भरण-पोषण का भुगतान करने का निर्देश दिया जाता है, जो याचिकाकर्ता हैं, प्रत्येक को 3,000/- रुपये प्रति माह की दर से 12.8.2013 अर्थात कुटुंब न्यायालय के समक्ष भरण-पोषण याचिका दायर करने की तारीख से। प्रतिपक्षी सं.2 को याचिकाकर्ताओं को उनके वाद्करण के लागत के लिए 50,000/-रूपये की एकमुश्त राशि का भुगतान करने का भी निर्देश दिया जाता है।

59. वर्तमान याचिका तदनुसार स्वीकृत की जाती है।

60. इस मामले से अलग होने से पहले, यह स्पष्ट करना उचित होगा कि विवाह और पितृत्व के संबंध में धारा 125 दं.प्र. सं. के तहत कार्यवाही में इस न्यायालय का निष्कर्ष अस्थायी है और किसी भी दीवानी न्यायालय या कुटुंब न्यायालय के आदेश के अधीन है।यदि कुटुंब न्यायालय कोई आज्ञप्ति पारित करता है जो इस कार्यवाही में इस न्यायालय के निष्कर्षों के अनुरूप नहीं है, तो संबंधित पक्ष धारा 127 दं.प्र.सं. के तहत कुटुंब न्यायालय के समक्ष उचित आवेदन दायर करने के लिए स्वतंत्र हैं, जो बदली हुई परिस्थितियों में धारा 125 दं.प्र.सं. के तहत पारित आदेश में परिवर्तन या संशोधन का प्रावधान करता है।

61. विद्वान न्यायमित्र द्वारा प्रदान की गई सहायता की अत्यधिक सराहना की जाती है। पटना कानूनी सेवा समिति के सचिव को विद्वान *न्यायमित्र* को मानदेय के रूप में 10,000/- रूपये का भुगतान करने का निर्देश दिया जाता है। कार्यालय को इस आदेश की एक प्रति विद्वान *न्यायमित्र* को उनकी जानकारी और आवश्यक सहायता के लिए भेजने का निर्देश दिया जाता है।

62. एल. सी. आर. को बिना किसी विलंब के अवर न्यायालय में वापस भेजा जाए।

63. कोई भी अंतर्वर्ती आवेदन,यदि लंबित है, तो निपटारा किया जाता है ।

64. विद्वान महानिबंधक को निर्देश दिया जाता है कि वे इस निर्णय/आदेश की एक प्रति बिहार के सभी कुटुंब न्यायालयों के बीच प्रसारित करें, और इसकी एक प्रति बिहार न्यायिक अकादमी को भी भेजें ताकि कुटुंब न्यायालयों के पीठासीन अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम में इसपर चर्चा की जा सके।

(जितेंद्र कुमार, न्यायामूर्ति)

एस.अली/शोएब

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।